कार्यवाही | हत्यारों ने सिर धड़ से अलग कर जंगल में फेंक दिया था

अंधविश्वास में युवक की हत्या करने वाले गए जेल

नवभारत, जबलपुर। कुण्डम थाना अंतर्गत बिसनपुरा में अंधविश्वास के चलते जादू-टोना के शक में युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हत्यारों ने मृतक का सिर धड़ से अलग कर जंगल में फेंक दिया था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नन्हेंलाल यादव निवासी बिसनपुरा ने पुलिस को बताया था कि 4 मार्च की शाम जब वह मवेशी चराकर लौट रहा था, तब उसने देखा कि मधुशाह और पिट्टी यादव उसके भाई भूरालाल के साथ विवाद कर रहे थे। आरोपी चिल्ला रहे थे कि भूरा जादू-टोना करता है। जब नन्हेंलाल और उसका बेटा सुरेश उसे बचाने पहुँचे, तो आरोपियों ने उन पर भी लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। इसके बाद आरोपी भूरालाल को जान से मारने की धमकी देते हुए अपने साथ उठाकर ले गए।

दो दिन बाद मिला था बिना सिर का शव

परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। 6 मार्च की दोपहर पुलिस को बरा पानी हार के पास एक क्षत-विक्षत शव मिलने की सूचना मिली थी मौके पर पहुँचे नन्हेंलाल ने शव की पहचान अपने भाई भूरालाल के रूप में की थी। मृतक का सिर गायब था, जिसे काफी तलाशी के बाद बिजली की बड़ी लाइन के टावर के पास से बरामद किया गया था।

पिट्टी-मधुशाह गए जेल, हथियार जब्त

थाना प्रभारी सतीष कुमार अंधवानी ने बताया कि हत्या, साक्ष्य मिटाने समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पिट्टी उर्फ संतकुमार यादव पिता चौधर सिंह यादव 25 वर्ष निवासी ग्राम बिसनपुरा टोला एवं मधुशाह पिता स्व. पचई ओटिया 19 वर्ष निवासी ग्राम महगांव थाना कुण्डम को पकड़ा गया जिन्होंने पूछताछ पर भूरेलाल यादव की हत्या करना स्वीकार किये आरोपियों को कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लाठी, घटना के समय पहने हुये कपड़े जप्त करते हुये दोनों आरोपियों की प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

जस्टिस धर्माधिकारी बने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

जबलपुर, नवभारत। जस्टिस सुश्रुत अरविन्द धर्माधिकारी ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया। उन्हें राज्यपाल ने राजभवन में शपथ दिलाई। जस्टिस धर्माधिकारी मप्र उच्च न्यायालय के ऐसे 18 वें जज हैं, जिन्हें देश के दूसरे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिला है। ध्यान रहे कि केरल उच्च न्यायालय में पदस्थ जस्टिस धर्माधिकारी की पदोन्नति की सिफारिश 26 फरवरी को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की हुई बैठक में लिया गया था। यह सिफारिश मद्रास उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव के 5 मार्च को हुई सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

महिला दिवस पर रेलकर्मियों को मिली शाइन की सौगात

ऑनलाइन दर्ज होगी यौन उत्पीड़न की शिकायत

जबलपुर, नवभारत। रेलवे ने महिला रेलकर्मियों को सुरक्षित और सशक्त कार्यस्थल प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड द्वारा शाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट नोटिफिकेशन एम्पावरमेंट मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसका आधिकारिक शुभारंभ आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जाएगा इस नई सुविधा को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। अब महिला रेल कर्मचारी किसी भी अप्रिय घटना या यौन उत्पीड़न की शिकायत पूरी तरह से गोपनीय तरीके से ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगी। इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को बिना किसी डर के आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच

शाइन मॉड्यूल की सबसे खास बात यह है कि इसका दायरा बेहद व्यापक रखा गया है। इसके माध्यम से निम्नलिखित लोग भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं

- रेलवे की महिला कर्मचारी
- संविदा कर्मचारी (कॉन्ट्रैक्ट वर्कर)
- छात्राएं और बाहरी आगंतुक (जो रेलवे परिसर या कार्यालयों में आती हैं)

निगरानी और गोपनीयता पर विशेष ध्यान

इस मॉड्यूल में शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ उसकी निगरानी के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली बनाई गई है।

- प्राधिकृत अधिकारी: एचआरएमएस में यौन उत्पीड़न मामलों से निपटने वाले नामित अधिकारी स्वयं भी महिला कर्मचारियों की ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- रिपोर्टिंग सिस्टम: उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इसमें एक रिपोर्ट जेनरेशन सिस्टम है, जिससे शिकायतों की स्थिति और उन पर हुई कार्रवाई की नियमित निगरानी की जा सकेगी।

बाबूराव परांजपे वार्ड में दूषित पानी की समस्या का समाधान

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम की जनसुनवाई अब आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण का एक प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। बाबूराव परांजपे वार्ड के अंतर्गत पोलीपात्थर, बादशाह हलवाई मंदिर और रविदास नगर के निवासियों ने क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। जनहित के इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। निगमायुक्त के निर्देश पर गठित इस टीम में तकनीकी विशेषज्ञों और मैदानी अमले को शामिल किया गया, ताकि समस्या की जड़ तक पहुँचकर उसका स्थायी समाधान निकाला जा सके।

निरंतर अध्ययन की दम पर पाया मुकाम

श्रीमती डॉ भावना शर्मा एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और कड़े प्रयासों के बाद आज शासकीय होम साइंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल विभाग में प्रधान के रूप में सफल हुईं। उनकी कहानी महिला दिवस पर एक प्रेरणा के रूप में सामने आती है। श्रीमती डॉ शर्मा का जन्म जबलपुर के एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। उनके पिता एक साधारण व्यक्ति और उनकी माता एक गृहिणी थीं। बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ने और पढ़ाने में थी। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने शहर के एक स्थानीय स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने शिक्षकों की प्रशंसा प्राप्त की। श्रीमती डॉ शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में की। उन्होंने कई वर्षों तक एक शिक्षिका के रूप में काम किया और अपने छात्रों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज, डॉ शर्मा एक सफल प्रधान अध्यापिका हैं और उन्होंने अपने विभाग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े-बड़े ओहदों पर काबिज है। उन्होंने अपने स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया और अपने छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की हैं। इनकी कहानी महिला दिवस पर एक प्रेरणा के रूप में सामने आती है। यह दिखाती है कि कैसे एक महिला अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण से सफल हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि एक शिक्षक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह कठिन विषयों को भी विद्यार्थियों के लिए आसान बना सके। इसके लिए लगातार पढ़ाई, नए-नए स्रोतों से जानकारी प्राप्त और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया जाना जरूरी है। जीवन में कई ऐसे क्षण भी आते हैं जब लगता कि यह रास्ता बहुत कठिन है। कभी-कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन हर असफलता कुछ नया सिखाती है।

पिकअप को बचाने के प्रयास में ट्रक पलटा

नवभारत,जबलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर- जबलपुर रोड पर बरगी बायपास के पास एक ट्रक पिकअप वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही संभागीय परिवहन उड़नदस्ता की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। उड़नदस्ता टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन में फंसे चालक और परिचालक को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया। घटना के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे टीम की त्वरित कार्रवाई से जल्द ही व्यवस्थित कर दिया गया और यातायात पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गया। इस दौरान प्रभारी राजेंद्र साहू, परिवहन उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक पीयूष मरावी, आशुतोष मोघे, सारंगधर महाले, अशोक खापर्डे और उमाशंकर उपाध्याय सहित अन्य स्टाफ मौके पर मौजूद रहा।

हिन्दी के पेपर के साथ बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त

नवभारत, जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हो रही दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुक्रवार को समाप्त हो गई हैं। इसी क्रम में बारहवीं कक्षा की भी बोर्ड परीक्षा शनिवार को हिंदी के पेपर के साथ समाप्त हो गई हैं। सहायक संचालक आर के बधान से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा भी जिले में शहर के 47 और ग्रामीण क्षेत्र के 52 केंद्रों में मिलाकर कुल 99 केंद्रों में आयोजित हुई, जिसमें कुल 18037 परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। लेकिन 17633 विद्यार्थियों ने ही यह परीक्षा दी है,जबकि 404 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित थे। आखिरी पेपर में भी कोई नकल पड़ा सामने नहीं आया है।

उड़न दस्ता की टीम की रही पैनी नजर

बोर्ड परीक्षा में नकल पकड़ने के लिए जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। जो सभी परीक्षा केंद्र में पहुंचकर आकस्मिक रूप से निरीक्षण कर रहे थे और नियमित तौर से चल रहीं परीक्षाओं पर भी नजर रख रहे थे। इसके अलावा नकल करने वालों के ऊपर भी इनकी पैनी नजर रही। शनिवार को भी हिंदी के पेपर में उड़न दस्ता की टीम ने विभिन्न केंद्र में जाकर निरीक्षण किया।

आलमारी सुधारने के बहाने दो लाख, एटीएम ले गया चोर

जबलपुर। विजय नगर थाना अंतर्गत शिवनगर दमोहनाका रोड में रहने वाले एक शिक्षक के घर को निशाना बनाते हुए शातिर चोर आलमारी सुधारने के बहाने घर में घुसकर करीब 2 लाख रुपये नगद और एटीएम कार्ड पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस ने बताया कि पनागर ब्लॉक में पदस्थ शिक्षक मनोज विश्वकर्मा (49) ने बताया कि उनके पिता ने एक व्यक्ति को घर की खराब आलमारी ठीक करने के लिए बुलाया था। आरोपी सरदार के भेष में आया था और खुद को आलमारी सुधारने का मिस्त्री बता रहा था। वारदात के वक्त शिक्षक मनोज विश्वकर्मा भी ड्यूटी से घर लौट आए थे। मिस्त्री बड़ी ही सफाई से आलमारी सुधारने का नाटक करता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अंदर रखे 2 लाख रुपये और एटीएम कार्ड पार कर दिए। काम खत्म कर वह मिस्त्री वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब मनोज ने आलमारी चेक की तो नकदी गायब देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब आरोपी का पता नहीं चला, तो पीड़ित ने विजय नगर में इसकी शिकायत दर्ज कराई।

कब्रिस्तान में हुई मौत का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

जबलपुर। कब्रिस्तान में हुई एक संदिग्ध मौत का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर की डिवीजन बेंच के समक्ष पहुंच गया है। मृतक के भाई कासिम कुरैशी द्वारा दायर रिट अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है तथा मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को निर्धारित की है। जानकारी के अनुसार यह घटना 26 मार्च 2025 की है, जब रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने के दौरान मृतक अपने पत्नी और पुत्र के साथ नरसिंहपुर जिले के ग्राम बोरीपार स्थित कब्रिस्तान में अपने दिवंगत पिता की कब्र पर फातेहा पढ़ने गया था। इसी दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के अनुसार उसे पहले जिला अस्पताल नरसिंहपुर ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कब्रिस्तान में मृतक और उसकी पत्नी व पुत्र के बीच विवाद हुआ था और मारपीट के कारण उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हुई। यह भी आरोप लगाया गया है कि कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय कथित रूप से सीसीटीवी फुटेज ही हटवा दी। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। बताया गया कि उक्त रिट याचिका को सिंगल बेंच ने राज्य सरकार से जवाब बुलाए बिना ही खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव तिवारी ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति रत्नेश चंद्र सिंह बिसेनकी खंडपीठ ने राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अभिनव तिवारी द्वारा की जा रही है।

एटीएम कार्ड बदला, खाते से पार किए 1 .6 लाख

जबलपुर। गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी लाइन फाटक के पास स्थित एक एटीएम में बुजुर्ग को मदद का झांसा देकर जालसाज ने बड़ी चालाकी से बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से 1 लाख 6 हजार 160 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार थम्मन सिंह कॉम्प्लेक्स निवासी 80 वर्षीय बी.एस. सिडाम ने शिकायत दर्ज कराई कि वे छोटी लाइन फाटक स्थित एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने गए थे। काफी प्रयास के बाद भी जब पैसे नहीं निकले, तो वहां पहले से मौजूद एक अज्ञात युवक ने मदद की पेशकश की। युवक ने बुजुर्ग से कार्ड लेकर 2-3 बार मशीन में लगाया और पिन डालने को कहा। अंत में पैसे न निकलने का बहाना बनाकर उसने बुजुर्ग को दूसरा कार्ड थमा दिया।

पश्चिम मध्य रेल

ओपन टेंडर (सिंगल पैकेट सिस्टम) टेन्डर नोटिस संख्या. जबल-यॉत्रिक-टेन्डर-06-2026 दिनांकः 06/03/2026

निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में वरिष्ठ मंडल यॉत्रिक इंजीनियर (कोचिंग), मंडल रेल प्रबंधक (यॉत्रिक), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के द्वारा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सूचना क्रमांकः** JBP-M-Tender-06-2026 dated 06.03.2026, **कार्य का नाम लोकेशन सहितः** सीएंडडब्ल्यू डिपो जबलपुर में एबीसी एवं डीसीपी प्रकार के अग्निशामक यंत्रों की रीफिलिंग, ओवरहॉलिंग, पेंटिंग तथा हाइड्रोलिक जांच (टेस्टिंग)।, **कार्य का अनुमानित मूल्य रूपये में:** Rs 1827049.03, **बयाना राशि रूपये में:** Rs 36600.00, **समापन अवधिः** 1095 Days, **निविदा भरने की अंतिम तिथि एवं समयः** 30.03.2026 Upto 11.00 Hrs., **निविदा खुलने की तिथि एवं समयः** 30.03.2026 Upto 11.30 Hrs. उपरोक्त ई-निविदा की संपूर्ण जानकारी वेब साईट "https://ireps.gov.in" पर उपलब्ध है एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (यॉत्रिक) कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। ई-निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिये कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

हस्ता.
कृते मंडल रेल प्रबंधक (यॉत्रिक),
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

मकान बेचने के नाम पर जालसाजी

मां-बेटे ने एक ही घर को कई बार बेचा, एफआईआर

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत शांति नगर में एक शातिर मां-बेटे ने एक ही मकान का सौदा कई लोगों से लाखों रुपये हड़प लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि शांति नगर व्हीकल मोड़ निवासी श्रीमती सीता चौधरी (37) ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 31 मई 2025 को मीनाक्षी सेन और उसके बेटे अनूप सेन से उनके शांति नगर स्थित 300 वर्गफुट के मकान का सौदा किया था। 2 कमरे और हॉल वाले इस मकान के लिए सीता चौधरी ने 3 लाख 75 हजार रुपये की पूरी राशि का भुगतान कर दिया और गवाहों की मौजूदगी में बकायदा अनुबंध पत्र भी तैयार करवाया।

कब्जा देने के बजाय बदला रिकॉर्ड

रुपये ऐंठने के बाद जब सीता चौधरी ने मकान के कब्जे की मांग की, तो मीनाक्षी और उसके बेटे ने टालमटोल शुरू कर दी। जांच के दौरान पीड़िता को पता चला कि आरोपियों ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए मकान का कब्जा देने के बजाय, शातिराना तरीके से नगर निगम के रिकॉर्ड में वह मकान अनूप सेन के नाम दर्ज करवा दिया।

कई और लोग भी हुए शिकार

हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने इस मकान को केवल सीता चौधरी को ही नहीं, बल्कि दो अन्य लोगों को भी बेच चुका है। आरोपित मकान का सौदा कर लोगों से रुपये हड़प लेते थें और आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण कब्जा मांगने वालों को डराते-धमकाते हैं। पुलिस ने शिकायत की जांच जिसमें पाया कि मीनाक्षी सेन, बबलू सेन और अनूप सेन ने सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम दिया है।

पशुपतिनाथ मंदिर में मनाया 11वां स्थापना दिवस

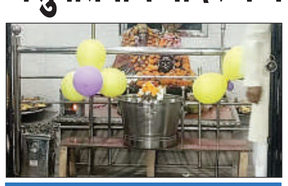

सुंदरकांड पाठ से हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ

नवभारत,जबलपुर। रांझी स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में शनिवार को नेपाली समाज द्वारा स्थापित मंदिर का 11वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ से हुई, जिसके बाद होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। समारोह में नेपाली समाज के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों ने एक-दूसरे को तिलक लगाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम में नेपाली समाज के पदाधिकारियों के साथ अन्य समाजों के वरिष्ठ नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और आपसी सद्भाव व भाईचारे का संदेश दिया।

निर्देश | अमले को 8 दिवस में 80 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने दिये निर्देश

लक्ष्य से अधिक वसूली करने वाले 5 अधिकारी-कर्मचारियों को दिये जायेंगे टैबलेट

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम अब अपने विकास कार्यों को गति देने और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 'मिशन मोड' में नजर आ रहा है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार द्वारा शहर के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्व वसूली के लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिए नगर निगम के पूरे अमले को मैदान में उतार दिया गया है। निगमायुक्त ने केवल राजस्व विभाग ही नहीं, बल्कि बाजार, जल, भवन, स्वास्थ्य और प्रकाश विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी संभागीय स्तर पर वसूली कार्य से जोड़ा है। इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य शहर के हर क्षेत्र में सुव्यवस्थित तरीके से कर संग्रहण करना और लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करना है। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए निगमायुक्त ने 'पुरस्कार और प्रोत्साहन' की सकारात्मक रणनीति अपनाई है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा की अगले 8 दिनों के भीतर 80 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य से अधिक वसूली करने वाले शीर्ष 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को उपहार स्वरूप 'टैबलेट' प्रदान किए जाएंगे। निगम प्रशासन का यह कदम न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि कार्यप्रणाली में तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा देगा।

14 मार्च के बाद लक्ष्य पूरा नहीं करने वालों पर गिरेगी गाज

निगमायुक्त ने 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों पर से करों के बोझ को कम करना और उन्हें नियमानुसार छूट व राहत प्रदान करना है। प्रत्येक कर संग्राहक को 100-100 करदाताओं को लोक अदालत से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इससे आम जनता को अपने पुराने बकाया मामलों को आसानी से सुलझाने का अवसर मिलेगा। जहाँ एक ओर बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने की योजना है, वहीं दूसरी ओर कार्यों के प्रति गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए 14 मार्च के बाद लक्ष्य प्राप्ति न करने वाले अमले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार आम जनता को यह सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पक्षकार श्रीमती संध्या महावर पत्नि श्री सौरभ महावर द्वारा आवासीय उपयोग की संपति आवासीय मौजा बिलहारी, पटवारी हल्का संख्या 23/27, न.ब.- 50, तहसील एवं जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित खसरा संख्या 41/1, 45, 46, 47/1, 50/1, 51/1, 52/1, 55/1, 56/1, 57, 58 और नई 44/6/7/1 के भाग, प्लॉट संख्या 53, जिसका कुल रकवा 1500 वर्ग फुट है। उक्त संपति खरीदने के लिए श्री सूर्यबली यादव पिता श्री दीनदयाल यादव (सूर्य बली वल्द दिन दयाल) से अनुबंध पत्र किया है। भूमिस्वामी श्री सूर्यबली यादव पिता श्री दीनदयाल यादव ने उक्त संपति श्री टी. पसाना पिता जॉर्ज पसाना से विक्रय पत्र दिनांक 29/07/2000, दस्तावेज क्रमांक-1033 के माध्यम से क्रय किया है। भूमिस्वामी श्री सूर्यबली यादव पिता श्री दीनदयाल यादव का पेनकार्ड एवं आधार कार्ड में नाम-सूर्य बली वल्द दिन दयाल है।

यह कि श्रीमती संध्या महावर पत्नि श्री सौरभ महाबर मेरे पक्षकार Capri Global Capital Ltd (CGCL) / Capri Global Housing Finance Ltd. (CGHFL) से ऋण प्राप्त करना चाहता है, जिसकी सुरक्षा हेतु श्रीमती संध्या महाबर पत्नि श्री सौरभ महाबर द्वारा उक्त संपति बैंक में बंधक की जा रही है। चूँकि उक्त सम्पति पर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29/07/2000, दस्तावेज क्रमांक-1033 को बैंक में जमा कर साम्यिक बंधक किया जा रहा है। अतः उक्त संपति या संपति के बंधक के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को किसी प्रकार की कोई आपति हो अथवा किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो वह प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर मेरे पक्षकार Capri Global Capital Ltd (CGCL) / Capri Global Housing Finance Ltd. (CGHFL) को अथवा मेरे कार्यालय में लिखित रूप में मय दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, समय उपरांत किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जावेगा।

जबलपुर
दिनांक :- 07/03/2026

भवदीय
राजेश प्यासी एडवोकेट
319, गली नं. 05, त्रिमूर्ति नगर,
दमोहनाका जबलपुर मो.-9424320068